

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.31644/2025/31 दिनांक : 07-02-25

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10.2017 एवं 9.12.2017 एवं एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.22 एवं 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री नवनीत सैन, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.07.2006 है को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15.07.2024 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में एम.ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.31644/2025/31 दिनांक : 07-02-25
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरगढ, जिला-भीलवाडा।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें।
4. श्री नवनीत सैन, वरिष्ठ सहायक, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :03-02-2025 07:20:30